(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2195–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–06–2015 पारित द्वारा तहसीलदार परगना शिवपुरी प्रकरण कमांक 51/2014–15/अ–12.

जगदीश सिंह पुत्र श्री अवतारसिंह
निवासी ग्राम कोटा तहसील व जिला
शिवपुरी म0प्र0

–––––आवेदक

विरूद्ध

1. ओमप्रकाश पुत्र सवाईलाल धाकड़
निवासी ग्राम कोटा तहसील व जिला
शिवपुरी म0प्र0
2. मध्यप्रदेश शासन

–––––अनावेदकगण

– – – – – – –

श्री ए00के0 अग्रवाल, अभिभाषक, आवेदक

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 17 नवम्बर 2015)

– – – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार परगना शिवपुरी के आदेश दिनांक 09–06–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक ने तहसीलदार के समक्ष ग्राम कोटा स्थित भूमि सर्वे कमांक 187/3, 188/1 एवं 188/2 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार शिवपुरी ने आदेश

दिनांक 09–6–15 द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन की पुष्टि की। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक को सीमावर्ती कृषक होने पर किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। यह भी तर्क दिया कि सीमांकन के समय नक्शा मौका व फील्डबुक नहीं बनाई गई है और न ही चर्तुसीमा दर्शाई गई है। तर्क में यह भी कहा कि तहसीलदार ने एक ही दिन में सीमांकन की कार्यवाही की पुष्टि कर दी गई उनके द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख में संलग्न राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24–5–15 को तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 शिवपुरी को सीमांकन हेतु आदेशित किया। दिनांक 6–6–15 को सीमांकन पंचनामा बनाया गया तथा प्रतिवेदन तहसीलदार को दिया गया। दिनांक 9–6–15 को तहसीलदार द्वारा सीमांकन स्वीकार कर दाखिल रिकार्ड किया गया। अतः आवेदक का यह तर्क उचित नहीं है कि पूरी सीमांकन कार्यवाही एक दिन में ही की गई। इसके अतिरिक्त अनावेदक की भूमि के सीमांकन की कार्यवाही में अनावेदक की भूमि पर आवेदक का किसी प्रकार का अतिकमण होना नहीं पाया गया है और न ही कब्जे के संबंध में कोई निर्णय लिया गया हो। ऐसी स्थिति में आवेदक उक्त सीमांकन से किस प्रकार प्रभावित है स्पष्ट नहीं है। अभिलेख के

अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष दिनांक 10—6—15 को सीमांकन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई, किन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति के एक दिन पूर्व ही अर्थात दिनांक 9—6—2015 को सीमांकन की पुष्टि की जा चुकी थी। यदि आवेदक उक्त चाहे तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश में किसी प्रकार की कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता परिलक्षित नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तहसीलदार का आदेश दिनांक 9—6—15 यथावत रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर